रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 1974/आश्विन 30, 1896
No. 262] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 1974/ASVINA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd October 1974

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for April 1974—March 1975—Export of drugs and drug intermediates falling under S. No. B. 11.1.*

No. 163-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the import policy for Registered Exporters for the period April, 1974—March, 1975 as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. II) published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74, dated the 2nd April, 1974.

2. The policy pertaining to the exports of drugs and drugs intermediates (not otherwise specified) falling under S. No. B.11.1 has been indicated at pages 102—104 of the aforesaid Red Book. It has been decided that the export of the following four items will not qualify for import replenishment admissible against S. No. B. 11.1:—

(i) Emetime Alkaloids.

(ii) Strychnine alkalodis/salts.

(iii) Salts and over derivatives of nux vomica alkaloids/Brucine.

(iv) Berberine Hydrochloride.

3. The following items which have been classified under S. No. B.11.1 in Section IV of the aforesaid Red Book may be deemed to have been deleted therefrom:—

(i) Barium Sulphate I.P.

(ii) Cardiotonic.

(iii) Dettol (The entry "Liquid Anticeptic" will remain).

(iv) Undecylenic acid B.P.

(v) Yeast tablets.

4. After the existing S. No. B.11.12 the following new serial number may be inserted under columns 1 to 5 at page 104 of the said Red Book:—

1	2	3	4	5
B. 11.13	Surgical Dressings	2%	As per actual user licence issued since 1st April, 1972.	The products falling under this serial number will be eligible for import replenishment only if produced by a manufacturer licensed under the Drugs & Cosmetics Act, 1940 (as amended).

5. The following items which have been classified under S. No. B.11.1 in Section IV of the aforesaid Red Book may be deemed to have been re-classified under S. No. B.11.13:—

(i) Band elastic adhesive plastic.

(ii) Bandages, medicated (manufactured by licensed manufacturer under the Drugs Act).

(iii) Cat-gut chromic.

(iv) Cat-gut plain foil pack or in glass tubes.

(v) Ethicon surgical sutures.

(vi) Non-sterilised surgical cat-guts made in accordance with B.P.C. 1949.

(vii) Surgical dressings.

(viii) Zinc oxide adhesive plaster.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1974

विषय.—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति-क्रम संख्या बी० 11.1 के अन्तर्गत आने वाले भेषजों और भेषज मध्यस्थों का निर्यात।

सं० 163—आई०टी०सी० (पी०ए०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44—आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक खंड—2) में अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. क्रम संख्या: बी० 11.1 के अन्तर्गत आने वाले भेषजों और भेषज मध्यस्थों (जो अन्यथा विशिष्टिकृत नहीं हैं) के निर्यात से सम्बन्धित नीति पूर्वोक्त रेडबुक के पृष्ठ 102—104 पर निर्दिष्ट की गई है। यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित चार मदों का निर्यात क्रम संख्या बी० 11.1 के सामने प्राप्य आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं बनाएगा:—

(1) इमेटाइन एल्कालायड्स

(2) स्ट्राइक्नीन एल्कालायड्स/साल्ट्स

(3) नक्सवोमिका एल्कालायड्स/ब्रूसिन के लवण और अन्य संजात

(4) बरबेरिन हाईड्रोक्लोराइड ।

3. निम्नलिखित मदें जो पूर्वोक्त रेडबुक के खंड 4 में क्रम सं० बी० 11.1 के अन्तगत वर्गीकृत की गई हैं, वहां से हटा दी गई समझी जाएं:—

(1) बेरियम सल्फेट आई० पी०

(2) कारडियोटानिक

(3) डिटोल (प्रविष्टि "लिक्विड एन्टीसेप्टिक" रहेगी)

(4) अनडिसाइलेनिक एसिड बी० पी०

(5) यीस्ट टिक्कियां

4. उक्त रेड बुक के पृष्ठ 104 पर कालम 1 से 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित नई क्रम संख्या विद्यमान क्रम संख्या बी० 11.12 के बाद विनिष्ट की जाए:—

1	2	3	4	5
बी० 11.13	शल्य मरहम पट्टियां	2 प्रतिशत	1 अप्रैल, 1972 से जारी किए गए वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के अनुसार ।	इस क्रम संख्या के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद आयात प्रतिपूर्ति के लिए तभी योग्य होंगे जब कि ये औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अनुज्ञप्त विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं ।

5. निम्नलिखित मदें जो कि उक्त रेडबुक के खंड 4 की क्रम संख्या 11.1 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई हैं, वे क्रम संख्या बी० 11.13 के अन्तर्गत पुनः वर्गीकृत की गई समझी जाएं:—

(1) बैंड इलास्टिक एड्हीसिव प्लास्टिक

(2) चिकित्सा पट्टियां (औषध अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्त विनिर्माता द्वारा विनिर्मित)

(3) कट-गट क्रोमिक

(4) कैट-गट प्लेन फायल अथवा ग्लास ट्यूब में

(5) एथिकान शल्य सीवन

(6) बी०पी०सी० 1949 के अनुसार बनाई गई अवशोष्यीकृत करने वाला शल्य कैट-गट ।

(7) शल्य मरहम पट्टियां ।

(8) जिंक आक्साइड एड्हीसिव प्लास्टर ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974